



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06.06.2024

एसओजी टीम व थाना कांधला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना कैराना व कांधला क्षेत्रान्तर्गत हुई पशु चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्यीय पशु चोरों से हुई मुठभेड में पशु चोर गिरोह का 01 सदस्य घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार मय जिन्दा व खोखा कारतूस, चोरी की गई भैंस, पशु बिक्री से प्राप्त नकदी एवं घटनाओं में प्रयुक्त बुलेरो पिकअप गाडी बरामद:-

दिनांक 26.05.2024 की रात्रि मे वादी श्री जावेद उर्फ बिक्का पुत्र जब्बार निवासी मौ0 आलकला थाना कैराना जनपद शामली के घर से 02 भैंस, बकरी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेना तथा दिनांक 29.05.2024 की रात्रि में वादी श्री जयपाल पुत्र स्वरूप निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली के घर के बाहर से 01 भैंस को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कैराना व कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। गठित टीमों द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये घटनास्थलों के आस-पास जानकारी करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये तथा साक्ष्यों के आधार पर लगातार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 05.06.2024 की देर रात पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार पशु चोरी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी टीम व थाना कांधला पुलिस को चैकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि बुढाना रोड की तरफ से एक पशु चोरों का गिरोह बुलेरो पिकअप गाडी से आने वाला है। सूचना पर एसओजी टीम व थाना कांधला पुलिस द्वारा भारसी रजवाहा पुलिसिया के पास घेराबन्दी कर पुलिस मुठभेड में अन्तर्राज्यीय पशु चोर गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में पशु चोर गिरोह का 01 सदस्य घायल हुआ। घायल को उपचार हेतु सीएचसी शामली भेजा गया है। मुठभेड में घायल पशु चोर के कब्जे से अवैध 01 तमंचा मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस, चोरी की गई 01 भैंस, चोरी किए गये पशु बिक्री से प्राप्त नकदी एवं घटनाओं में प्रयुक्त बुलेरो पिकअप गाडी बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.गुलजार पुत्र इकराम निवासी न्याजुपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मु0नगर।
हाल निवासी किला परीक्षितगढ थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध 01 तमंचे 315 बोर मय 01 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 2.चोरी की गई 01 भैंस व 01 लुवारू (भैंस का बच्चा)।
- 3.पशु बिक्री से प्राप्त 70,000/- रुपये।
- 4.पशु चोरी में प्रयुक्त पिकअप बुलेरो गाडी नं0-UP19-AN-8313।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 05/21 धारा 379 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 545/23 धारा 379, 411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 429/20 धारा 380 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
- 4.मु0अ0सं0 434/20 धारा 307 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 435/20 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।
- 6.मु0अ0सं0 437/20 धारा 5A/8 गौवध निवारण अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।
- 7.मु0अ0सं0 679/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गि0 अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।

- 8.मु0अ0सं0 427/18 धारा 380, 411 भादवि थाना ककरौल जनपद मु0नगर ।
- 9.मु0अ0सं0 902/19 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मु0नगर ।
- 10.मु0अ0सं0 904/19 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मु0नगर ।
- 11.मु0अ0सं0 04/18 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना खतौली जनपद मु0नगर ।
- 12.मु0अ0सं0 806/15 धारा 323,354क,506 भादवि थाना खतौली जनपद मु0नगर ।
- 13.मु0अ0सं0 1413/17 धारा 392,411 भादवि थाना खतौली जनपद मु0नगर ।
- 14.मु0अ0सं0 1468/17 धारा 379 भादवि थाना खतौली जनपद मु0नगर ।
- 15.मु0अ0सं0 06/19 धारा 380 भादवि थाना चरथावल जनपद मु0नगर ।
- 16.मु0अ0सं0 07/19 धारा 380 भादवि थाना चरथावल जनपद मु0नगर ।
- 17.मु0अ0सं0 586/18 धारा 379 भादवि थाना चरथावल जनपद मु0नगर ।
- 18.मु0अ0सं0 175/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 व 379, 411 भादवि थाना जानसठ जनपद मु0नगर ।
- 19.मु0अ0सं0 26/20 धारा 380 भादवि थाना फुगाना जनपद मु0नगर ।
- 20.मु0अ0सं0 22/20 धारा 307,414 भादवि थाना बुढाना जनपद मु0नगर ।
- 21.मु0अ0सं0 516/19 धारा 380, 411 भादवि थाना बुढाना जनपद मु0नगर ।
- 22.मु0अ0सं0 82/18 धारा 379 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर ।
- 23.मु0अ0सं0 91/18 धारा 307 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर ।
- 24.मु0अ0सं0 92/18 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर ।
- 25.मु0अ0सं0 183/18 धारा 2/3 उ0प्र0 गु0 अधि0 थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर ।
- 26.मु0अ0सं0 02/21 धारा 380,411,457 भादवि थाना मीरापुर जनपद मु0नगर ।
- 27.मु0अ0सं0 66/21 धारा 307 भादवि थाना मीरापुर जनपद मु0नगर ।
- 28.मु0अ0सं0 67/21 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना मीरापुर जनपद मु0नगर ।
- 29.मु0अ0सं0 68/21 धारा 414 भादवि थाना मीरापुर जनपद मु0नगर ।
- 30.मु0अ0सं0 74/18 धारा 3/5/8 गौवध नि0 अधि0 थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर ।
- 31.मु0अ0सं0 81/18 धारा 3/5/8 गौवध नि0 अधि0 थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर ।
- 32.मु0अ0सं0 137/15 धारा 379,411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 33.मु0अ0सं0 153/15 धारा 379 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 34.मु0अ0सं0 911/15 धारा 174A भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 35.मु0अ0सं0 69/21 धारा 379,411 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
- 36.मु0अ0सं0 169/24 धारा 379 भादवि थाना कांधला जनपद शामली ।
- 37.मु0अ0सं0 285/24 धारा 380,457 भादवि थाना कैराना जनपद शामली ।
- 38.मु0अ0सं0 183/24 धारा 307,411,414 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना कांधला जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरी0 श्री सुबेसिंह थाना कांधला जनपद शामली ।
- 2.उ0नि0 श्री राहुल सिसौंदिया एसओजी शामली ।
- 3.उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर बालियान थाना कांधला जनपद शामली ।
- 4.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह एसओजी शामली ।
- 5.है0का0 मोतीलाल थाना कांधला जनपद शामली ।
- 6.है0का0 अंकुर चौधरी थाना कांधला जनपद शामली ।
- 7.है0का0 नितिन त्यागी एसओजी शामली ।
- 8.है0का0 प्रदीप कुमार एसओजी शामली ।
- 9.का0 दीपांकुर त्यागी एसओजी शामली ।
- 10.का0 मनीष कुमार एसओजी शामली ।

- 11.का0 रोहित कुमार एसओजी शामली ।
- 12.का0 अनुज कुमार एसओजी शामली ।
- 13.का0 मौ0 सादाब एसओजी शामली ।
- 14.का0 दीपक निर्वाण एसओजी शामली ।

नोट:- पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 25,000/- रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है ।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 किलोग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 10-15 लाख रुपये) व 1,60,000/- रुपये नकद बरामद:-

आज दिनांक 06.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ओर्चिज होटल से आगे कैराना रोड से 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 01 किलोग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 10-15 लाख रुपये) व नकद 1,60,000/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1.इमरान हुसैन पुत्र स्व0 आबिद हुसैन निवासी मौहल्ला मौलवीगंज इमामवाडा के पास वार्ड नं 25 कस्बा व थाना शेरघाटी जनपद गया, बिहार।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध अफीम 01 किलोग्राम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 10-15 लाख रुपये)।
- 2.नकद 1,60,000/- रुपये।

गिरफ्तार करने वाला पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री यूनुस खान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2.है0का0 नबाव थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.का0 अमित थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नया गांव में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अन्य वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 06.03.2024 को श्री सुरेश पुत्र श्री बिरमा निवासी ग्राम नया गांव थाना झिंझाना जनपद शामली के भतीजे सुशील पुत्र सूरजमल के साथ दीपक व अंकुर पुत्रगण कृष्णपाल निवासीगण हडौली माजरा थाना भौरा कलां जनपद मुजफ्फरनगर व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर जानलेवा हमला करने व गाली गलौच करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नया गांव में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अन्य वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि घटना में लिप्त अभियुक्त दीपक को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्त की तलाश हेतु टीम लगी हुई है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अंकुर पुत्र कृष्णपाल निवासी हडौली माजरा थाना भौरा कलां जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अनीस खान थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 06.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों लगाई गयी है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.05.2024 को थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत दहेज हत्या के संबंध में मृतका के परिजनो द्वारा थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दी गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता:-

1.सचिन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम पेलखा थाना गढीपुख्ता जिला शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 रामेन्द्र कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2.का0 सचिन शर्मा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 3.का0 सनोज कुमार थाना गढीपुख्ता थाना कैराना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवेलों से चोरी किया गया सामान व रुपये बरामद:-

आज दिनांक 06.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण को ट्यूबवेलों से चोरी किये गये सामान व 2040 रुपये (चोरी का सामान बेचकर प्राप्त) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 22.05.2024 को वादी श्री मनीष पुत्र जयवीर निवासी ग्राम रंगाना थाना झिंझाना जनपद शामली ने अज्ञात चोरों द्वारा ट्यूबवेल से स्टार्टर, केबिल व अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की थी तथा दिनांक 30.05.2024 को वादी श्री नाथीराम पुत्र पिरथी निवासी ग्राम भोगी माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली ने अज्ञात चोरों द्वारा ट्यूबवेल की पाइप तोड़कर चोरी करने व चारपाई और कपडे जला देने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की थी तथा दिनांक 05.06.2024 को वादी श्री तुषार गिल पुत्र पंकज निवासी ग्राम टोडा थाना झिंझाना जनपद शामली ने खेत से केवल व अन्य सामान को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की थी तथा दिनांक दाखिला तहरीरों के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनाओं में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.उमरदराज उर्फ काला पुत्र युनुस निवासी ग्राम बल्लामजरा थाना झिंझाना शामली।
- 2.राशिद पुत्र यामीन निवासी जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.इसरार उर्फ अंबानी पुत्र इस्तयाक निवासी बल्लामजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उमरदराज उर्फ काला उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 161/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली
- 2.मु0अ0सं0 720/2010 धारा 414 भादवि थाना झिंझाना
- 3.मु0अ0सं0 763/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना
- 4.मु0अ0सं0 541/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना
- 5.मु0अ0सं0 53/2013 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना
- 6.मु0अ0सं0 निल/2013 धारा 102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना झिंझाना
- 7.मु0अ0सं0 10/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना
- 8.मु0अ0सं0 88/2020 धारा 3/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना
- 9.मु0अ0सं0 346/2020 धारा 8/21 NDPS Act थाना झिंझाना
- 10.निवारक कार्यवाही नं0 77/2020 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना
- 11.मु0अ0सं0 216/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना
- 12.मु0अ0सं0 217/2021 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना
- 13.मु0अ0सं0 371/2021 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना
- 14.निवारक कार्यवाही नं0 52/2021 धारा 110जी सीआरपीसी थाना झिंझाना
- 15.मु0अ0सं0-447/2022 धारा 398/401 भादवि थाना झिंझाना
- 16.मु0अ0सं0-448/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना
- 17.मु0अ0सं 231/2024 धारा 379/436/411 भादवि0 थाना झिंझाना

- 18.मु0अ0सं0 224/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना झिंझाना जनपद शामिली
19.मु0अ0सं0 209/2024 धारा 380/411 भादवि0 थाना झिंझाना जनपद शामिली

आपराधिक इतिहास राशिद उपरोक्त

- 1.मु0अ0सं0 003/2023 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना
2.मु0अ0सं0-498/2023 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना झिंझाना
3.मु0अ0सं0-573/2016 धारा 386 भादवि0 थाना झिंझाना
4.मु0अ0सं 231/2024 धारा 379/436/411 भादवि0 थाना झिंझाना
5.मु0अ0सं0 224/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना झिंझाना जनपद शामिली
6.मु0अ0सं0 209/2024 धारा 380/411 भादवि0 थाना झिंझाना जनपद शामिली

आपराधिक इतिहास इसरार उर्फ अम्बानी उपरोक्त

- 1.मु0अ0सं0 371/2021 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना
2.मु0अ0सं0-243/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना झिंझाना
3.मु0अ0सं 231/2024 धारा 379/436/411 भादवि0 थाना झिंझाना
4.मु0अ0सं0 224/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना झिंझाना जनपद शामिली
5.मु0अ0सं0 209/2024 धारा 380/411 भादवि0 थाना झिंझाना जनपद शामिली

बरामदगी का विवरण:-

- 1.लोहे का पाइप (5 फुट) सम्बन्धित मु0अ0सं0 224/2024 भादवि ।
2.तांबे का तार जला हुआ 3 किलो 150 ग्राम सम्बन्धित मु0अ0सं0 231/2024 धारा 379 भादवि ।
3.नकद 2040 रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 209/2024 धारा 380 भादवि (चोरी का सामान विक्रय कर प्राप्त) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री यशवीर सिंह राणा चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामिली ।
2.का0 दीपक यादव चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामिली ।
3.का0 अर्जुन सिंह चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामिली ।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अवैध शराब के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व 7,00/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 2016 में अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 396/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.06.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)/JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र उपरोक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा व 7,00/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. देवेन्द्र पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI